छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् रायपुर

स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के अधीनस्थ पंजीकृत बोर्ड

(माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, पुराना पाठ्यपुस्तक निगम कार्यालय, पेंशनबाड़ा, रायपुर छ.ग. 492001)

दूरभाष कार्या. : 0771–4001733, फैक्स कार्या. : 0771–4001733

Website: http://cgsvm.cgstate.gov.in E mail Id: cgsanskrit@gmail.com

क्रं. 496/मान्यता/सं.वि.मं./परीक्षा/2023 रायपुर, दिनाँक 17/01/2023

–0–नवीन संस्कृत विद्यालय प्रारंभ करने एवं मान्यता/सम्बद्धता संबंधी निर्देश–0–

नवीन संस्कृत विद्यालय प्रारंभ करने हेतु मान्यता/सम्बद्धता एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में निर्देश निम्नानुसार हैं।

नवीन संस्कृत विद्यालय प्रारंभ करने हेतु संस्था/समिति का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी से अथवा ट्रस्ट का पंजीयन होना आवश्यक है।

- **समिति का विधान** – समिति का विधान आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- समिति के सदस्यों की प्रमाणित सूची **जो रजिस्ट्रार फर्म/सोसायटी से प्रमाणित हो,** आवेदन के साथ संलग्न करें।
- संस्था के पास कक्षा के अनुसार पर्याप्त भवन, प्रसाधन, अहाता एवं खेल का मैदान होना आवश्यक है। भवन का प्रमाणित **नक्शा** संलग्न करें।
- संस्कृत विद्यामण्डलम् कार्यालय से मान्यता/संबद्धता के लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश आवश्यक है। मान्यता आदेश में संस्कृत माध्यम का अंकित होना आवश्यक है एवं आदेश की प्रति **सचिव छ.ग. संस्कृत विद्यामण्डलम्** के लिए भी संबोधित/सूचनार्थ हो।
- शासन से संस्कृत विद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रतिभूति राशि में 90 प्रतिशत की छूट दी गई है।
- प्रवेशिका (प्राथमिक कक्षा 1 से 5) रू. 1000/–, प्रथमा (कक्षा 6 से 8) रू. 1500/–, पूर्व मध्यमा (कक्षा 9 एवं 10) रू. 2000/– एवं उत्तर मध्यमा (कक्षा 11 एवं 12) रू. 2500/– प्रतिभूति राशि संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य के संयुक्त खाते में जमा कराने होंगे।
- छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् को नवीन विद्यालय प्रारंभ करने हेतु मान्यता/सम्बद्धता शुल्क रू. 2000/– का ड्राफ्ट सचिव छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् के नाम से बनाकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- **मान्यता/सम्बद्धता– अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 14/11/2022 के 'कार्यवाही विवरण' क्रमांक 388/सं.वि.म./अ.म.बै./कार्य.वि./परीक्षा/2022 रायपुर दिनांक 24/11/2022** के बिन्दु क्रमांक 12 के अनुसार– विद्यालय के लिए मान्यता/सम्बद्धता शुल्क में वृद्धि करते हुए प्रवेशिका से प्रथमा तक रू. 500/– से (1 से 8वीं) रू. 800/– तथा हाई एवं हायर कक्षाओं (पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा कक्षाओं) के लिए रू. 1000/– के स्थान पर रू. 1500/– शुल्क लागू होगा। यह शुल्क वृद्धि **परीक्षा सत्र 2023–24** से लागू होगी। उल्लेखित कार्यवाही के बिन्दु क्रमांक 16 के अनुसार– प्रवेशिका स्तर एवं प्रथमा में केवल प्रथमा प्रथम वर्ष (कक्षा 1 से कक्षा 6) तक मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार पूर्व की भांति कक्षा 6 तक ही नवीन संस्कृत विद्यालय आरंभ किया जा सकेगा।
- **नवीनीकरण के संबंध में**– नवीनीकरण हेतु विभागीय मान्यता तथा निजी स्कूलों में नई अथवा अतिरिक्त कक्षाएँ खोलने हेतु दी जाने वाली अनुमति **जिला शिक्षा अधिकारी** से लिया जाना होगा। सात वर्ष से अधिक समय तक संचालित विद्यालय को 4 वर्ष की एक साथ मान्यता/सम्बद्धता निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जा सकेगी।

(कृ.पृ.उ.)

- नवीन संस्कृत विद्यालय प्रारंभ करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्यता के आधार पर प्रथम बार में कक्षा 1ली से 5वीं (प्रवेशिका स्तर) एवं कक्षा 6वीं से 8वीं (प्रथमा स्तर) **अथवा** जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई मान्यता के आधार पर प्रथम बार कक्षा 1ली से 6वीं तक की मान्यता/सम्बद्धता **छ.ग. संस्कृत विद्यामण्डलम् रायपुर** द्वारा प्रदान की जायेगी। शासन द्वारा जारी नवीन संशोधन आदेशानुसार कक्षा 9वीं (पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष), 10वीं (पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष) एवं कक्षा 11वीं (उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष), 12वीं (उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष) की **मान्यता/नवीनीकरण** संयुक्त संचालक के स्थान पर **जिला शिक्षा अधिकारी** द्वारा दी जाएगी। तद्नुसार छ.ग. संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा कक्षा उन्नयन/संबद्धता प्रदान की जाएगी।
- मान्यता/सम्बद्धता हेतु निरीक्षण छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् के अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य प्राच्य संस्कृत विद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- नवीनीकरण मान्यता/सम्बद्धता के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् के अधिकारी एवं संस्कृत विद्यालय के संकुल प्राचार्य निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन के आधार पर मान्यता दी जा सकेगी। नवीन मान्यता/संबद्धता छ.ग. संस्कृत विद्यामण्डलम् के अधिकारियों के निरीक्षण के पश्चात् दी जाएगी। साथ में प्रवेश नियमावली संलग्न है। **छ.ग. संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा नियमानुसार संस्कृत विद्यालय प्रारंभ करने के मापदंड में उपयुक्त पाए जाने पर ही मण्डलम् द्वारा संबद्धता प्रदान की जाएगी।**
- नवीन/नवीनीकरण मान्यता का प्रस्ताव (डीईओ का मान्यता/नवीनीकरण आदेश अनिवार्य), विद्यालय की समस्त जानकारी एवं शुल्क (निर्धारित राशि का ड्राफ्ट) 15 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से **प्रतिवर्ष** प्रक्रिया पूर्ण कर इस कार्यालय में जमा करें। विलंब शुल्क के साथ 30 सितम्बर तक प्रस्ताव स्वीकार्य होंगे। **इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा।**
- मान्यता का प्रस्ताव एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित सील से ही भेजे जाएं।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

Pandey

सचिव
छ.ग. संस्कृत विद्यामण्डलम्
रायपुर (छ. ग.)

पृ. क्रं 497/मान्यता/छ.सं.वि.मं./2023 रायपुर, दिनाँक 17/01/2023

प्रतिलिपि

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य प्राच्य संस्कृत विद्यालय छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं निर्देशों के पालनार्थ अग्रेषित।

Pandey

सचिव
छ. ग. संस्कृत विद्यामण्डलम्
रायपुर (छ. ग.)

⁂ संस्कृत विद्यालयों में प्रवेश नियम ⁂

छ0ग0 संस्कृत विद्यामण्डलम् रायपुर द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश निम्नानुसार दिया जाता है:-

कक्षा – प्रवेशिका (1ली से 5वीं)	शासकीय विद्यालयों की भांति संस्कृत विद्यालयों में प्रवेशिका कक्षा में 1ली से 5वीं तक प्रवेश की पात्रता रहेगी।
कक्षा – प्रथमा (6वीं से 8वीं)	अन्य विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालय के 5वीं उत्तीर्ण छात्रों को प्रथमा प्रथम वर्ष (6वीं) में प्रवेश की पात्रता रहेगी। संस्कृत विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय के छात्रों को प्रथमा द्वितीय वर्ष (7वीं) एवं प्रथमा तृतीय वर्ष (8वीं) में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।
कक्षा – पूर्व मध्यमा (9वीं एवं 10वीं)	पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष (9वीं) में संस्कृत विद्यालय से प्रथमा तृतीय वर्ष (8वीं) उत्तीर्ण एवं सामान्य विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा। साथ ही सामान्य विद्यालय के कक्षा 9वीं उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष (9वीं) में प्रवेश दिया जा सकेगा। उसी प्रकार सामान्य विद्यालय से 10वीं अनुत्तीर्ण छात्रों को संस्कृत विद्यालय में पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष (9वीं) में प्रवेश दिया जाएगा। संस्कृत विद्यालय के कक्षा 9वीं उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 10वीं में प्रवेश की पात्रता रहेगी। अन्य विद्यालयों से 9वीं उत्तीर्ण छात्रों को सीधे 10वीं में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
कक्षा– उत्तर मध्यमा (11वीं एवं 12वीं)	उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष (11वीं) में प्रवेश हेतु संस्कृत विद्यालय से कक्षा पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष (10वीं) उत्तीर्ण छात्रों एवं सामान्य विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण छात्रों, **जिनका 10वीं कक्षा में एक विषय संस्कृत होना आवश्यक है** को संस्कृत विद्यालय में उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष (11वीं) में प्रवेश की पात्रता रहेगी। संस्कृत विद्यालय से उत्तीर्ण 11वीं के छात्रों को उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (12वीं) में प्रवेश की पात्रता रहेगी। अन्य विद्यालयों से 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को सीधे उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (12वीं) कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
अन्य राज्यों एवं बोर्ड से आने वाले छात्रों हेतु	अन्य राज्यों एवं अन्य बोर्ड से संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कक्षा 1ली से 8वीं तक के उत्तीर्ण छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर के साथ प्रवेश की पात्रता रहेगी। कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए अन्य जिलों से आए 8वीं उत्तीर्ण छात्रों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर एवं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष (11वीं) में नामांकन के लिए माईग्रेशन प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

Pandey

सचिव

छ. ग. संस्कृत विद्यामण्डलम्

रायपुर (छ. ग.)